"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 जुलाई 2010—आषाढ़ 14, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-10/2004/1-9.—राज्य शासन एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ 6-10/2004/1-9 दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 एवं 16 जनवरी, 2008 के नियम 3 (ख) में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है; अर्थात्

संशोधन

उक्त अधिसूचना के नियम-3 (ख) में ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक, एशियाड, कामनवेल्थ, एशियन चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है, उन्हें राज्य शासन की सेवा में "पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के पश्चात् "खेल एवं युवा कल्याण विभाग" को प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. यह संशोधन आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.